

नाबालगिों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पति के लिये जुर्माना

चर्चा में क्यों?

नाबालगिों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालगिों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पति या वाहन मालिकों पर तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

मुख्य बदि:

- परविहन विभाग के सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
- [मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019](#) की धारा 199 (ए) के तहत, यह रेखांकित किया गया है कि कशिरोों द्वारा कयि गए मोटर वाहन-संबंधी अपराधों में, केवल उनके अभिभावक या वाहन मालिक को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
 - नरिधारति सज़ा में तीन वर्ष की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना शामिल है।
- लखनऊ में कगि जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोहया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली 40% मौतों में नाबालगि शामिल हैं।
- अधिकारियों ने 18 वर्ष से कम उमर के बच्चों द्वारा ड्राइविग पर प्रतिबिध लगाने वाले कानून का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया और सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने की बात की।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019

- संशोधन यातायात नयिमों के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाने, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थिति करने तथा देश में सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास करता है।
- यह एक मोटर वाहन दुर्घटना नधिका प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्घटनाओं के लिये अनविरय बीमा कवर प्रदान करता है।
- यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।